भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2513

जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

30 अग्रहायण, 1944 (शक)

आधार कार्ड का पंजीकरण

2513. श्री प्रसून बनर्जी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार कार्ड के पंजीकरण के लिए बॉयोलॉजिकल हस्ताक्षर और अंगुलियों के निशान अपेक्षित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन लोगों के लिए कोई प्रावधान है जिनकी अंगुलियां नहीं हैं और वे आधार कार्ड में अपना दर्ज कराने के लिए अंगुलियों के निशान देने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार के रूप में 135 करोड़ से अधिक निवासियों को डिजिटल पहचान जारी की है । यह निवासियों को आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में समर्थ बनाती है। आधार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के आध्यधीन है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 3 में यह उपबंधित है कि नामांकन से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों (पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर) से निम्नलिखित बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाएगी:

(i) चेहरे की छवि;
(ii) सभी दस उंगलियों के निशान; और
(iii) दोनों आंखों का स्कैन।

उक्त विनियमों के विनियम 5(च) में यह उपबंधित है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, बच्चे के चेहरे की छवि कैप्चर की जाएगी और इसके अलावा, नामांकन के दौरान माता-पिता में से किसी एक या अभिभावक की बायोमेट्रिक जानकारी भी ली जाएगी अथवा प्रमाणित की जाएगी।

(ग) और (घ): जी, हां । उक्त विनियमों के विनियम 6 में यह उपबंधित है कि जो निवासी उंगलियों के निशान उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, उनके केवल आईरिस स्कैन एकत्र किए जाएंगे। इसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि जो निवासी विनियमों द्वारा अपेक्षित कोई बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नामांकन और अद्यतन सॉफ्टवेयर में ऐसे अपवादों के निपटान की व्यवस्था करेगा और इस तरह के नामांकन, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किए जाएंगे। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1.8.2014 को जारी बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे निवासियों का नामांकन करने के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिनमें आवश्यक बायोमेट्रिक्स की कुछ कमी हो। ऐसे निवासियों के लिए सामान्य नामांकन प्रक्रिया के अनुसार ही निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण को कैप्चर किया जाएगा, शेष बायोमेट्रिक्स कैप्चर करते समय नामांकन के लिए सॉफ्टवेयर में लुप्त बायोमेट्रिक्स को हाइलाइट किया जाता है। ऐसे अपवाद को स्पष्ट करने के लिए दोनों हाथों के साथ निवासी के चेहरे की एक तस्वीर ली जाती है, और पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित व्यक्ति, अपवाद नामांकन के रूप में ऐसे नामांकन को विधिमान्य करता है।

******